न्यायालय श्रीमान् राजस्व मं. ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा म0प्र0

R. 5116-दो/16

राजलाल कोल तनय जमुना कोल उम्र 40 साल निवासी ग्राम बरेती खुर्द तहसील जवा जिला रीवा म0प्र0 ....आवेदक / निगराकार

बनाम

1—मुस0 रनिया कोल पत्नी रामबहोर कोल उम्र 70 साल
2—मुन्ना कोल तनय रामबहोर कोल उम्र 40 साल
3—राजपूत कोल तनय रामबहोर कोल उम्र 35 साल
सभी निवासी बरेती खुर्द तहसील जवा जिला रीवा म0प्र0

............................अनावेदकगण / गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध राजस्व निरीक्षक म0 जवा द्वारा दिनांक 10/01/16 को किये गये नक्शा तरमीम के विरूद्ध निगरानी निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू—राजस्व संहिता 1959 ई0 .

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:—

1— यह कि आराजी नं0 419 एवं 420 रकवा क्रमशः 0.68 एकड एवं 0.49 एकड स्थित ग्राम बरेती खुर्द पुरानी तहसील त्योंथर वर्तमान तहसील जवा जिला रीवा आवेदक एवं अनावेदकगण की पैतृक भूमियॉ है। इन भूमियो का विभाजन हो चुका है। विभाजन के अनुसार आवेदक एवं अनावेदकगण मौके मे काबिज होकर कास्त करते है। उक्त भूमियो के विभाजन के उपरान्त आवेदक एंव अनावेदकगण जिस स्थिति मे काबिज है उसे स्पष्ट करने के लिये निगरानी के साथ नजरी नक्शा प्रस्तुत किया जा रहा है। जो अनुलंग्न "अ" के रूप मे है और निगरानी का अंग है। आराजी नं0 419 एवं 420 के विभाजन के उपरान्त खसरे मे बटाकंन भी अंकित किया जा चुका है बटांकन

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 5116–दो/2016 निगरानी जिला – रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11/8/17	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त जवा तहसील जवा जिला रीवा दारा किये गये नक्शा तर्मीम दिनांक 10-1-2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने जा चुके हैं। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि राजस्व निरीक्षक ने दिनांक 10-1-16 को ग्राम बरेही खुर्द की भूमि सर्वे कमांक 419 एंव 420 का नक्शा तर्मीम किया है। बटांकन / तर्मीम आदेश मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 68 सहपठित 70 के अंतर्गत पारित होता है एंव संहिता की धारा 68 सहपठित 70 के अंतर्गत पारित आदेश अपील योग्य है। आवेदक इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित समक्ष न्यायालय में अपील करने हेतु स्वतंत्र है। 3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी प्रचलन–योग्य न होने से निरस्त की जाती है । सदस्य	